NO : CBSE/1730964/SS-01099-2223/2022-23/ Dated: 04/08/2021

The Manager,
SEVEN STAR CONVENT SCH MAULASAR NAGAUR RAJ
SEVEN STAR CONVENT SCHOOL,JHAROD ROAD,MAULASAR
RAJASTHAN,NAGAUR, 341506
(M: 01580-240537)

SUBJECT: - UPGRADATION TO SENIOR SECONDARY LEVEL - REGARDING.

Ref : Application No.: - SS-01099-2223 DATED: 30/06/2021

Sir/Madam,

This is with reference to school application on the subject cited above. I am directed to convey the approval of the Board for Affiliation i.e Upgradation to Senior Secondary Level as per details given below :

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	**1730964**
School No	11381
Affiliated for	Senior Secondary School Examination Class 1 to 12
Category	Upgradation of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2027
Year and Month From which admission can be taken in Class-IX/XI	1 April,2022
Year and Month in which first batch of Class-X/XII will appear in board examinations	1 April,2024

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., http://cbseacademic.nic.in/ & http://cbse.nic.in/ for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

ENROLMENT TABLE

SN	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	**Up to Class-XII** The number of sections shall be restricted in accordance with **'H'** above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	
· The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.				
· The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.				
· For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet				

Important Notes : "Grant with Conditions:- 1) Previous history is not reflected. 2) Computer lab and Maths lab of the school are undersized. School is required to shift the Computer lab to bigger room size of 600 sq ft and Maths lab to a bigger room size of 500 sq ft. and upload photo and size details in the public disclosure link of school website. 3) The school authority is required to obtain renewed copy of fire safety certificate issued by concerned Govt. Authority (Fire Department) showing date of validity of the certificate and upload it in public disclosure link on school website."
School is required to appoint special educator & wellness teacher as per affiliation bye laws.

Print

विद्यालय - SEVEN STAR CONVENT SCHOOL (P57620)　　　　आवेदन क्रमांक : 20906

मान्यता कोड : RJNGR20853　　　　प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी NAGAUR , राजस्थान

क्रमांक:　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक

सचिव

प्रबंध समिति

SEVEN STAR CONVENT SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 20906 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SEVEN STAR CONVENT SCHOOL पता JHADOD ROAD, MOLASAR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय MOLASAR ब्लॉक MOLASAR को शैक्षिक सत्र 2017-18 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;

(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;

विद्यालय - SEVEN STAR CONVENT SCHOOL (P57620) आवेदन क्रमांक : 20906

मान्यता कोड : RJNGR20853 प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी NAGAUR , राजस्थान

(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और

(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10.विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11 विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी|

14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।

18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक नागौर

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

क्रमाक–शिविना / प्रा.शि. / सा–1 / आरटीई / मान्यता / 17–18 / 794 – 800 दिनाक– 9/8/17

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 श्रीमान् निजी सचिव निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर।
2 श्रीमान् उप निदेशक (आर.टी.ई.) निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3 श्रीमान् उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर।
4 श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर।
5 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.................................
6 रक्षित पत्रावली / कार्यालाय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा / मा. / पीएसपी–सी / अ–2 / 60567 / केमाशिबो / 2018–19 दिनांक :–29/6/18

(1) सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ,
शिक्षा केंन्द्र–2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार, दिल्ली–1100092

(2) सचिव,
सी.आई.एस.सी.ई.
प्रगति हाऊस, तीसरी मंजिल
47–48, नेहरू पेलेस
नई दिल्ली– 110505

विषय :– सत्र : 2018–19 हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8)शिक्षा–1 / 2009 पार्ट–6 जयपुर दिनांक 28.06.2018 की पालना में जारी समसंख्यक संशोधित स्वीकृति दिनांक 29.06.2018 के क्रम में निम्नाकित 06 गैर सरकारी विधालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय / संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य / राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों मे भागीदारी निभाई जावेगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विधालय का संचालन नहीं कर सकेगीं :–

क.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता (CBSE /CISCE)	NOC देने का सत्र	माध्यम
1	लॉयल पब्लिक स्कूल रतनगढ, चुरू	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
2	दयानन्द सरस्वती बाल मन्दिर दुर्गा मन्दिर के पास, निधिवन नगर, दौसा	CBSE	2018–19	हिन्दी
3	सेवन स्टार कॉन्वेण्ट स्कूल जोधपुर रोड़, मौलासर, नागौर	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
4	मोर्निग स्टार सेण्ट एंसलम्स स्कूल मदरामपुरा, फागी रोड, सांगानेर, जयपुर	CBSE	2018–19	अंग्रेजी
5	देहली पब्लिक स्कूल वर्ल्ड पीओबी. 2 खैरावा रोड, पाली	CBSE	2018–19	अंग्रेजी

6	लॉर्ड कृष्णा पब्लिक मावि. रेवदर, सिरोही	CBSE	2018–19	अंग्रेजी

Note:- The section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of the Board/state educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board/state Government from time to time.

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
5. उपशासन सचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय)................
10. संबंधित विद्यालय ....

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर